HISTORY

1

अकबर के उत्तराधिकारियों के शासन काल में भूमि प्रबंध (Land Settlement Under Akbar's Successor)

अकबर के शासन काल में भूमि प्रबंध की जब्ती प्रणाली सबसे लोकप्रिय थी। जहाँगीर ने अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली को जारी रखा। परन्तु उन्होंने इस प्रणाली के सभी नियमों का कठोरता से पालन नहीं किया तथा समय के साथ इस प्रणाली में कुछ दोष उत्पन्न हो गए। कुछ समकालीन लेखकों ने कहा है कि शाहजहाँ, कृषकों के भलाई के लिये कार्य करने के लिए उत्सुक था। किसानों का कर एकत्रित करने वाले अधिकारियों को भ्रष्टाचार से बचाने के लिये उसने कश्मीर से कई अनुचित कर हटा दिया तथा उसने अपने शासनकाल में सिंचाई के लिए बहुत से नहरें खुदवाई।

परन्तु शाहजहाँ के शासनकाल में भूमि प्रबंध अकबर के शासनकाल से कुछ भिन्न था। अकबर की जब्ती प्रणाली का उद्देश्य जमींदारी प्रथा को समाप्त करके सरकार का कृषकों से सीधा संपर्क स्थापित करना था। परन्तु शाहजहाँ ने जमींदारी प्रथा फिर से आरंभ कर दी जिसने जब्ती प्रणाली को जड़ उखाड़

दिया। देश की उपजाऊ भूमि के लगभग 7/10 भाग को ठेके पर बोली के लिए दे दिया गया। किसानों के भूमि सम्बन्धों के लगान निश्चित किया जाने लगा तथा सरकार के भूमि कर का भाग 1/3 से बढ़कर 1/2 हो गया। किसानों पर करों का बोझ बढ़ गया। किसानों को न केवल उस भूमि पर ही कर देना पड़ता था जिस पर कि वो बिजाई करता था बल्कि उस पर कर देना पड़ता था जो की अधीन थी परंतु उस पर बिजाई नहीं करता था। सरकार के इन नीतियों के कारण, सरकार की भूमि कर से आय चार करोड़ हो गई।

औरंगजेब के शासनकाल में जब्ती प्रणाली पूरी खत्म हो गई तथा उसके स्थान पर नस्क प्रणाली आरंभ की गई। सरकारी अधिकारी भूमि का बंदोबस्त असावधानी और बहुत जल्दबाजी से करने लगे। सरकारी अधिकारी अपनी शक्तियों का अनुचित लाभ उठाने लगे। परिणामस्वरूप किसानों में बेचैनी फैल गई।